रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242033 CG-DL-E-18012023-242033

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] No. 28] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

सा.का.िन. 29(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 845(अ), तारीख 24 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी, तीस दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 25 नवंबर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी :

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है:

399 GI/2023 (1)

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये 1 अप्रैल, 2023 प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 52 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"52क. सरकारी यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण-(1) नियम 52 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जो निम्नलिखित के स्वामित्व में है-"

- (i) केंद्रीय सरकार; या
- (ii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन; या
- (iii) किसी नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत; या
- (iv) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन स्थापित किसी राज्य परिवहन उपक्रम; या
- (v) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; या
- (vi) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय, यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, धारा 41 की उप धारा (7) में यथा उपबंधित, पंद्रह वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् समाप्त हो जाएगा:

परंतु सरकारी यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यदि आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष के अवसान के पूर्व पहले ही नवीनीकृत हो चुका है तो ऐसा प्रमाणपत्र यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने पर रद्द हुआ माना जाएगा:

परंतु यह और कि, यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष यान) पर लागृ नहीं होगा।

(2) ऐसे यानों का निपटान, यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्षों की समाप्ति पर, समय-समय पर संशोधित मोटर यान (रजिस्ट्रीकरण और यान स्क्रैपिंग सुविधा संबंधी कार्य) नियम, 2021 के अनुसार स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।"।

[फा. सं. आरटी 23013/1/2021-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.िन. 901(अ), तारीख 22 दिसंबर 2022 के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2023

G.S.R. 29(E).—Whereas draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 845 (E), dated the 24th November, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 25^{th} November, 2022;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rule further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 52, the following rule shall be inserted, namely: -
 - "52A. Renewal of certificate of registration of Government vehicles. (1) Notwithstanding anything contained in rule 52, the certificate of registration in respect of a motor vehicle owned by -
 - (i) the Central Government; or
 - (ii) the State Government or Union Territory administrations; or
 - (iii) any Municipal Corporation or Municipality or Panchayat; or
 - (iv) a State transport undertaking established under the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) and the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
 - (v) a Public sector undertaking; or
 - (vi) an autonomous body owned or controlled by the Central Government or the State Government,

shall expire after the lapse of fifteen years, as provided in sub-section (7) of section 41, from the date of initial registration of the vehicle:

Provided that the certificate of registration of government vehicle if already renewed before lapse of fifteen years from the date of initial registration, such certificate shall be treated as cancelled on completion of fifteen years from the date of initial registration of the vehicle:

Provided further that, this rule shall not apply to the special purpose vehicles (armoured and other specialised vehicles) used for operational purposes for defense of the country and for the maintenance of law and order and internal security.

(2) Disposal of such vehicles shall, after the expiry of the fifteen years from the date of initial registration of the vehicle, be ensured through the Registered Vehicle Scrapping Facility set up in accordance with the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, as amended from time to time."

[F. No. RT-23013/1/2021-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 901(E), dated 22nd December, 2022.